# वर्ष 2025-26 एवं तत्पश्चात सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति संबंधी नीति

## संस्करण 1.0

## लेखा विभाग

यह नीति “वर्ष 2023-24 तथा तत्पश्चात (2024-25 तक वैध) के लिए सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों की नियुक्ति संबंधी नीति" को अधिक्रमित और प्रतिस्थापित करती है। यह नीति इंडियन बैंक की संपत्ति है, और इसे इंडियन बैंक की पूर्व अनुमति के बिना, किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, पूर्णतः या आंशिक रूप से पुनःप्रस्तुत या प्रतिलिपित नहीं किया जा सकता है।

| | |
|---|---|
| **शीर्षक** | **वर्ष 2025-26 तथा तत्पश्चात सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति संबंधी नीति** |
| **संस्करण** | **1.0** |

| | |
|---|---|
| **स्वामित्व:** | **लेखा विभाग** |
| **प्रस्तुतकर्ता:** | **लेखा विभाग** |
| **समीक्षाकर्ता:** | **एसीबी** |
| **अनुमोदनकर्ता:** | **निदेशक मंडल** |
| **प्रभावी तिथि:** | **01.04.2025** |
| **वैधता** | **वित्त वर्ष 2025-26 हेतु एवं तत्पश्चात<br>3 वर्षों के लिए अर्थात् 2027-28 तक वैध है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी अंतरिम संशोधन के अध्यधीन है।** |

संस्करण नियंत्रण

| संस्करण सं. | प्रस्तुतकर्ता | अनुमोदनकर्ता | प्रभावी तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | लेखा विभाग | निदेशक मंडल | 01.04.2025 |
| | | | |

वर्ष के दौरान हुए बदलाव:

| जारी करने की तिथि | परिपत्र सं. | परिपत्र का नाम |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |



इंडियन बैंक / INDIAN BANK
कॉर्पोरेट कार्यालय
Corporate Office
चेन्नै
Chennai-600 014.
लेखा विभाग / Accounts Department

## विषय-वस्तु

1. नीति का प्रयोजन ....................5
2. प्रयोज्यता का दायरा ....................5
3. नीति का उद्देश्य ....................5
4. विनियामक संदर्भ ....................5
5. प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देश ....................5
6. फर्म/फर्मों से प्राप्त किए जाने वाले वचनपत्र/घोषणाएँ.................... 10
7. समनुदेशन की संख्या .................... 10
8. प्रत्येक एससीए द्वारा लेखापरीक्षा की जाने वाली शाखाओं की संख्या .................... 10
9. आंतरिक समनुदेशन, यदि कोई हो.................... 10
10. कार्यकाल और रोटेशन .................... 11
11. सेवा समाप्ति....................12
12. एससीए का पेशा मानक....................12
13. एससीए की गुणवत्ता संबंधी फीडबैक ....................12
14. नीति की समीक्षा ....................12
15. लेखा परीक्षा शुल्क और व्यय....................12
16. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश....................12
17. अन्य मामले....................13
अनुबंध- I ....................14
अनुबंध-II ....................16
अनुबंध - III....................17



इंडियन बैंक / INDIAN BANK
कॉर्पोरेट कार्यालय Corporate Office
चेन्नै Chennai-600 014
लेखा विभाग / Account's Department

## 1. नीति का प्रयोजन

वित्तीय वर्ष 2025-26 तथा तत्पश्चात सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति संबंधी नीति का प्रयोजन आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक में एससीए की नियुक्ति के लिए आवेदन करने हेतु पात्रता और प्रक्रियाओं पर मार्गदर्शन प्रदान करना है।

## 2. प्रयोज्यता का दायरा

यह नीति सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रयोज्य है।

## 3. नीति का उद्देश्य

इस नीति दस्तावेज़ का उद्देश्य बैंक के लिए सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना है।

## 4. विनियामक संदर्भ

- दिनांक 27.04.2021 के संदर्भ से डीओएस. सीओ. एआरजी/एसईसी. 01/08. 91.001/2021-22 के माध्यम से आरबीआई अधिसूचना सं. आरबीआई/2021-22/25 और आरबीआई द्वारा दिनांक 11.06.2021 को जारी अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न;

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों की नियुक्ति संबंधी आरबीआई के दिनांक 23.09.2024 के पत्र संख्या डीओएस. एआरजी.सं एस4723/08:01:003/2024-25

## 5. प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देश

### ए) एससीए की संख्या

विगत वर्ष के अंत तक रु.15000 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति आकार वाली संस्थाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा न्यूनतम दो लेखा परीक्षा फर्मों द्वारा संयुक्त लेखा परीक्षा के तहत कराई जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संस्था के संयुक्त लेखापरीक्षकों में कोई समान भागीदार नहीं है और वे लेखापरीक्षा फर्मों के समान नेटवर्क के अधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त, बैंक सांविधिक लेखापरीक्षा के प्रारंभ से पूर्व अपने एससीए के परामर्श से उनके बीच कार्य का आबंटन करेगी।

बैंक, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर, अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित कारकों जैसे आस्तियों का आकार एवं अवस्थिति, लेखांकन और प्रशासनिक इकाइयों, लेनदेन की जटिलता, कंप्यूटरीकरण का स्तर, अन्य स्वतंत्र लेखापरीक्षा इनपुट की उपलब्धता, वित्तीय रिपोर्टिंग में चिह्नित जोखिम, आदि को ध्यान में रखते हुए एससीए की संख्या का निर्धारण करेगा।



इंडियन बैंक / INDIAN BANK
कॉर्पोरेट कार्यालय
Corporate Office
चेन्नै
Chennai-600 014
लेखा विभाग / Accounts Department

नियुक्त किए जाने वाले एससीए की वास्तविक संख्या निदेशक मंडल द्वारा को निम्नलिखित सीमाओं के अधीन तय किया जाएगा:

| क्र.सं. | संस्था का आस्ति का आकार | एससीए की अधिकतम संख्या |
|---|---|---|
| 1 | रु.5,00,000 करोड़ तक | 4 |
| 2 | रु.5,00,000 करोड़ से अधिक और रु.10,00,000 करोड़ तक | 6 |
| 3 | रु.10,00,000 करोड़ से अधिक और रु.20,00,000 करोड़ तक | 8 |
| 4 | रु.20,00,000 करोड़ से अधिक | 12 |

यथास्थिति 31.03.2025 को बैंक के आस्ति का आकार "रु.5,00,000 करोड़ से अधिक और रु.10,00,000 करोड़ तक" के आस्ति-आकार श्रेणी के अंतर्गत आता है और बैंक में अधिकतम 6 एससीए हो सकते हैं। वर्ष 2025-26 हेतु, बैंक 5 एससीए होंगे और जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जायेगी।

## बी) एससीए हेतु मूल पात्रता

आरबीआई ने विगत वर्ष की यथास्थिति 31 मार्च तक संस्था की आस्ति का आकार के आधार पर एससीए के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किया है।

बैंक "विगत वर्ष की यथास्थिति 31 मार्च तक रु.15000 करोड़ से अधिक की आस्ति आकार वाली संस्था" श्रेणी के अंतर्गत आती है और तदनुसार निम्नलिखित मानदंडों का पालन करेगी :-

| विगत वर्ष की यथास्थिति 31 मार्च तक संस्था की आस्ति आकार | कम से कम तीन (3) वर्षों के लिए फर्म से सहयुक्त पूर्णकालिक भागीदार (एफटीपी) की न्यूनतम संख्या | कम से कम तीन (3) वर्षों के लिए फर्म से सहयुक्त कुल एफटीपी में से साथी सनदी लेखाकार (एफसीए) भागीदारों की न्यूनतम संख्या | सीआईएसए/आईएसए योग्यता वाले पूर्णकालिक भागीदारों / वेतनभोगी सीए की न्यूनतम संख्या | फर्म के लेखापरीक्षा संबंधी अनुभव के न्यूनतम वर्षों की संख्या | पेशेवर कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| रु.15000 करोड़ से अधिक | 5 | 4 | 2 | 15 | 18 |



इंडियन बैंक / INDIAN BANK कॉर्पोरेट कार्यालय Corporate Office चेन्नै Chennai 600 014. लेखा विभाग / Accounts Department

i. **पूर्णकालिक भागीदारों की संख्या**

पूर्णकालिक भागीदार के रूप विचार करने के लिए पैनल (पीएसबी के लिए) में शामिल होने की यथास्थिति तक फर्म के साथ भागीदारों का कम से कम एक वर्ष का निरंतर जुड़ाव होना चाहिए। इसके अलावा, सभी वाणिज्यिक बैंकों और रु. 1000 करोड़ से अधिक की आस्ति का आकार वाले अन्य संस्थाओं के एससीए के रूप में नियुक्ति के लिए, फर्म के कम से कम दो भागीदारों का फर्म के साथ कम से कम 10 वर्षों के तक निरंतर जुड़ाव होना चाहिए।

रु. 1000 करोड़ से अधिक आस्ति का आकार वाले सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए, फर्म के साथ पूर्णकालिक भागीदार के जुड़ाव का अर्थ अनन्य जुड़ाव होगा।

'अनन्य जुड़ाव' की परिभाषा निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित होगी: -

- पूर्ण कालिक भागीदार को अन्य फर्म/फर्मों में भागीदार नहीं होना चाहिए।
- वह अन्यत्र पूर्णकालिक/अंशकालिक रूप से कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- वह अपने नाम से प्रैक्टिस नहीं कर रहा हो या अन्यथा प्रैक्टिस में संलग्न न हो या किसी अन्य गतिविधि में संलग्न न हो, जिसे सनदी लेखाकार अधिनियम,1949 की धारा 2(2) के तहत प्रैक्टिस में संलग्न माना जाएगा।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में, फर्म/एलएलपी से भागीदार की आय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पूर्णकालिक भागीदारों के रूप में विचार करने के प्रयोजनार्थ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा निर्धारित सीमा से कम नहीं होनी चाहिए।

ii. **सीआईएसए/आईएसए योग्यता**

इस प्रयोजन के लिए सीआईएसए/आईएसए योग्यता वाले वेतनभोगी सीए के रूप में पैनल में विचार करने के लिए, पैनल में शामिल किए जाने की यथास्थिति तिथि तक फर्म के साथ सीआईएसए/आईएसए योग्यता वाले वेतनभोगी सीए का न्यूनतम एक वर्ष का निरंतर जुड़ाव होना चाहिए।

iii. **लेखापरीक्षा अनुभव**

वाणिज्यिक बैंक के लिए, लेखापरीक्षा अनुभव का अर्थ वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) / एआईएफआई के सांविधिक केन्द्रीय/शाखा लेखापरीक्षक के रूप में लेखापरीक्षा फर्म का अनुभव है। लेखापरीक्षा फर्म के विलय और विलगाव के मामले में, विलय के 2 वर्ष के बाद विलय का प्रभाव दिया जाएगा जबकि इस उद्देश्य के लिए विलगाव तत्काल प्रभावी होगा।

iv. **पेशेवर कर्मचारी**

पेशेवर स्टाफ़ में लेखापरीक्षा और आर्टिकल क्लर्क शामिल हैं, जिन्हें बहीखाता और लेखाशास्त्र का ज्ञान है और जो ऑन-साइट लेखापरीक्षा में लगे हुए हैं लेकिन टंकक/आशुलिपिक/कंप्यूटर ऑपरेटर/सचिव/अधीनस्थ कर्मचारी आदि इसमें शामिल नहीं हैं। इस उद्देश्य के लिए उन्हें पेशेवर स्टाफ के रूप में विचार करने के लिए पैनल में शामिल करने (पीएसबी के लिए) की यथास्थिति तिथि पर फर्म के साथ पेशेवर स्टाफ का कम से कम एक वर्ष का निरंतर जुड़ाव होना चाहिए।



इंडियन बैंक / INDIAN BANK
कॉर्पोरेट कार्यालय
Corporate Office
चेन्नै
Chennai

## सी) अतिरिक्त विचारणीय विषय

i. एससीए के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित लेखापरीक्षा फर्म को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 के शर्तों के अनुसार होने के लिए कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विधिवत पात्र होना चाहिए।

ii. लेखापरीक्षा फर्म को किसी भी सरकारी एजेंसी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई), आरबीआई या अन्य वित्तीय विनियामकों द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए।

iii. लेखापरीक्षा फर्म की नियुक्ति आईसीएआई की आचार संहिता /अपनाए गए ऐसे किसी अन्य मानकों के अनुरूप हो तथा इससे किसी प्रकार का हितों का टकराव न हो।

iv. यदि किसी सनदी लेखाकार फर्म का कोई भागीदार किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) में निदेशक है, तो उक्त फर्म को किसी भी पीएसबी के एससीए के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि सनदी लेखाकार फर्म का कोई भागीदार बैंक में निदेशक है, तो उक्त फर्म को बैंक की किसी भी समूह संस्था के एससीए के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(इस नीति के प्रयोजन के लिए, समूह संस्थाओं का अर्थ निम्नलिखित संबंधों में से किसी के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित दो या दो से अधिक संस्थाएँ होंगी, यथा अनुषंगी-मूल (एएस 21 के संदर्भ में परिभाषित), संयुक्त उद्यम (एएस 27 के संदर्भ में परिभाषित), सहयोगी (एएस 23 के संदर्भ में परिभाषित), प्रमोटर-प्रमोटी (जैसा कि सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी (शेयरों का अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 में प्रदान किया गया है।, एक संबंधित पक्षकार (एएस 18 के संदर्भ में परिभाषित), सामान्य ब्रांड नाम, तथा 20% और उससे अधिक के इक्विटी शेयरों में निवेश।)

v. फर्म के पास लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बैंक के कंप्यूटर वातावरण की डिग्री/जटिलता के अनुरूप, जहां लेखांकन और व्यवसायिक विवरण स्थित है, कंप्यूटर सहबद्ध लेखापरीक्षा टूल्स एंड टेकनिक्स (सीएएटी) और जनरलाइज़्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर (जीएएस) को लागू करने की क्षमता और अनुभव होना चाहिए।

## डी) मूल पात्रता मानदंड का निरंतर अनुपालन

यदि कोई लेखापरीक्षा फर्म (नियुक्ति के बाद) किसी भी पात्रता मानदंड (किसी भी भागीदार, कार्मिक के इस्तीफें, मृत्यु आदि सरकारी एजेंसियों, एनएफआरए, आईसीएआई, आरबीआई, अन्य वित्तीय नियामकों आदि द्वारा की गई कार्रवाई के कारण), का पालन नहीं करती है, वह तत्काल पूर्ण विवरण के साथ बैंक से संपर्क कर सकती है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा फर्म को उचित समय के भीतर पात्र बनने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे और किसी भी मामले में, लेखापरीक्षा फर्म को 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक सांविधिक लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले और वार्षिक लेखापरीक्षा के पूरा होने तक मानदंडों का अनुपालन करना चाहिए।



इंडियन बैंक / INDIAN BANK कॉर्पोरेट कार्यालय Corporate Office चेन्नै Chennai-600 014 लेखा विभाग / Accounts Department

लेखापरीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी भी असाधारण परिस्थितिय जैसे एक या अधिक भागीदारों, कर्मिकों आदि की मृत्यु के मामले में, जो फर्म को किसी भी पात्रता मानदंड के संबंध में अपात्र बनाती है, आरबीआई को विशेष मामले के रूप में संबंधित लेखापरीक्षा फर्म को लेखापरीक्षा पूर्ण करने की अनुमति देने का विवेकाधिकार होगा।

## ई) अयोग्यता

- एससीए के रूप में नियुक्ति हेतु बैंक के समवर्ती लेखापरीक्षकों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह ऑडिट फर्मों के समान नेटवर्क के तहत एक लेखापरीक्षा फर्म या सामान्य भागीदारों वाली किसी अन्य लेखापरीक्षा फर्म पर भी लागू होगा।
- संयुक्त लेखापरीक्षकों को भागीदार या लेखापरीक्षा फर्मों के समान नेटवर्क के अंतर्गत नहीं होना चाहिए

## एफ) आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरुप एससीए की नियुक्ति की प्रक्रिया

1. संस्थाओं को एससीए की प्रत्येक रिक्ति के लिए न्यूनतम 2 ऑडिट फर्मों को शॉर्टलिस्ट करना होगा।

2. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, आरबीआई को एससीए की संभावित रिक्तियों की संख्या के बारे में सूचित करने के लिए अधिकृत हैं।

3. बैंक के पास एक लेखापरीक्षा फर्म हो सकती है जिसका मुख्यालय/शाखा उसी स्थान पर हो जहां बैंक का मुख्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालय स्थित है। बैंक शेष रिक्तियों को देश के अन्य भागों का प्रतिनिधित्व करने वाली फर्मों से भरने का प्रयास करेगा।

4. एससीए के चयन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार है:

   ए. आरबीआई वार्षिक आधार पर बैंक को एससीए के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र सभी ऑडिट फर्मों की एकल सूची अग्रेषित करेगा।

   बी. आरबीआई द्वारा प्रतिवर्ष प्रेषित की गई पात्र फर्मों सूची में से एससीए का चयन किया जाएगा।

   सी. बैंक, आरबीआई से प्राप्त पात्र लेखापरीक्षा फर्मों की सूची में से लेखापरीक्षा फर्मों का चयन करेगा और डीजीएम/डीजीएम की अनुपस्थिति में एजीएम लेखा, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), जीएम (निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा) और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की अध्यक्षता वाली मूल्यांकन समिति द्वारा चयन किया जाएगा तथा एसीबी को अनुमोदन हेतु अनुशंसा प्रेषित करेगा।



इंडियन बैंक / INDIAN BANK
कॉर्पोरेट कार्यालय Corporate Office
चेन्नै Chennai-600 014
लेखा विभाग / Accounts Department

डी. मूल्यांकन समिति प्रत्येक एससीए की रिक्ति के लिए 3 लेखापरीक्षा फर्मों का चयन करेगी। चयन प्रक्रिया इस नीति में उल्लिखित पात्रता मानदंड (जैसे पूर्णकालिक भागीदारों की संख्या, पेशेवर कर्मचारियों की संख्या, सीआईएसए/आईएसए पात्र भागीदारों की संख्या/भुगतान किए जानेवाले सीए, एफसीए की संख्या आदि) पर आधारित होगी।

5. एससीए के चयन हेतु चयनित लेखापरीक्षा फर्मों को वरीयता के क्रम में एसीबी के समक्ष रखा जाएगा।

6. एसीबी के परामर्श से बैंक द्वारा एससीए के चयन पर और आरबीआई द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुपालन की पुष्टि करने पर, बैंक एससीए के रूप में नियुक्ति के लिए आरबीआई की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करेगा।

7. बैंक, एसीबी की सहमति से एससीए के रूप में नियुक्ति हेतु आरबीआई से पात्र ऑडिट फर्मों की सूची प्राप्त होने के एक महीने के भीतर आरबीआई से संपर्क करेगा।

## 6. फर्म/फर्मों से प्राप्त किए जाने वाले वचनपत्र/घोषणाएँ

एससीए के रूप में नियुक्ति हेतु प्रस्तावित लेखापरीक्षा फर्म प्रारूप बी (अनुलग्नक-I) (संदर्भ: आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई/2021-22/25 संदर्भ संख्या डीओएस सीओ.एआरजी. एसईसी. 01/08.91.001/2021-22 दिनांक 27.04.2021) के अनुसार प्रासंगिक जानकारी सहित एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत इस निमित्त प्रस्तुत करेगी कि लेखापरीक्षा फर्म इस उद्देश्य के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों का अनुपालन करती है। इस प्रमाणपत्र को एससीए के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित लेखापरीक्षा फर्म के मुख्य भागीदार/रों द्वारा लेखापरीक्षा फर्म की मुहर के साथ हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

## 7. समनुदेशन की संख्या

बैंक के एससीए के रूप में नियुक्त फर्म समवर्ती रूप से किसी विशेष वर्ष के दौरान अधिकतम चार वाणिज्यिक बैंकों (एक से अधिक पीएसबी या एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान [(नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, एक्जिम बैंक) या आरबीआई सहित), आठ यूसीबी और आठ एनबीएफसी का सांविधिक लेखापरीक्षा कर सकती है जो प्रत्येक इकाई के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड और अन्य शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन और किसी अन्य कानूनों या नियमों द्वारा निर्धारित समग्र सीमा के भीतर हो।

## 8. प्रत्येक एससीए द्वारा लेखापरीक्षा की जाने वाली शाखाओं की संख्या

बैंक एससीए को बकाया अग्रिमों के स्तर के क्रम में शीर्ष 20 शाखाओं को इस तरह आबंटित करेगा कि ट्रेजरी शाखा के अलावा एससीए द्वारा बैंक के कुल सकल अग्रिमों का न्यूनतम 15% कवर किया जा सके।

## 9. आंतरिक समनुदेशन, यदि कोई हो

एससीए द्वारा किसी भी गैर-लेखापरीक्षा कार्य (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 144 में उल्लिखित सेवाओं, आंतरिक समनुदेशन, विशेष कार्य आदि) या समूह संस्थाओ (*) के लिए किसी भी लेखापरीक्षा/गैर-लेखापरीक्षा कार्य के बीच समय अंतराल एससीए के रूप में नियुक्ति से पहले या बाद में कम से कम एक वर्ष (**) होना चाहिए। तथापि, एससीए के रूप में



इंडियन बैंक / INDIAN BANK कॉर्पोरेट कार्यालय Corporate Office चेन्नै Chennai-600 014. लेखा विभाग /Accounts Department

कार्यकाल के दौरान, एक लेखापरीक्षा फर्म बैंक को ऐसी सेवाएं प्रदान कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप सामान्यतः हितों का टकराव (***) का कारण न हो और बैंक इस संबंध में एसीबी/निदेशक मंडल के परामर्श से अपना निर्णय ले सकता है। यह प्रतिबंध ऑडिट फर्मों के एक ही नेटवर्क के तहत लेखापरीक्षा फर्म या सामान्य भागीदारों वाली किसी अन्य लेखापरीक्षा फर्म पर भी लागू होगा।

(*)' समूह संस्थाएं' का यहां तात्पर्य समूह में आरबीआई विनियमित संस्थाओं से है, जो परिपत्र में दी गई समूह संस्था की परिभाषा को पूरा करती हैं। तथापि, यदि समूह की संस्थाओं (जो आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं हैं) के लिए लेखापरीक्षा/गैर-लेखापरीक्षा कार्यों से जुड़ी एक लेखापरीक्षा फर्म को समूह में आरबीआई द्वारा विनियमित किसी भी संस्थाओं द्वारा एससीए के रूप में नियुक्त करना पर विचार किया जा रहा है, तो संबंधित आरबीआई विनियमित संस्था के निदेशक मंडल/एसीबी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करें कि हितों का कोई टकराव न हो और लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो, और इसे निदेशक मंडल/एसीबी की बैठकों के कार्यवृत्त में उचित रूप से दर्ज किया जाना चाहिए।

यदि सनदी लेखाकार फर्म का कोई भागीदार समूह में आरबीआई विनियमित संस्था में निदेशक है, तो उक्त फर्म को समूह में आरबीआई विनियमित संस्थाओं में से किसी के लिए भी एससीए के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। तथापि, अगर किसी लेखापरीक्षा फर्म को समूह में आरबीआई विनियमित किसी भी संस्थाओं द्वारा एससीए के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा है, जिसका भागीदार किसी समूह संस्था (जो आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं है) में एक निदेशक है, उक्त लेखापरीक्षा फर्म एसीबी के साथ-साथ निदेशक मंडल के समक्ष उचित रूप से प्रकटीकरण करेगा।

(**)आरबीआई विनियमित संस्था के एससीए/एसए के रूप में एक लेखापरीक्षा फर्म की नियुक्ति से पहले, इस नियुक्ति और आरबीआई विनियमित उस संस्था में उसी लेखापरीक्षा फर्म को दिए गए किसी भी गैर-लेखापरीक्षा कार्य के समनुदेशन के पूरा होने या समूह में आरबीआई विनियमित अन्य इकाई में किसी लेखापरीक्षा/गैर-लेखापरीक्षा कार्यों को पूरा होने के बीच कम से कम एक वर्ष का समय अंतराल होना चाहिए। यह शर्त संभावित रूप से अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 से लागू होगी। इसलिए, यदि कोई लेखापरीक्षा फर्म संस्था में गैर-लेखापरीक्षा कार्य में शामिल है और/या समूह में आरबीआई विनियमित अन्य संस्थाओं में कोई लेखापरीक्षा/गैर- लेखापरीक्षा कार्य करता है और एससीए के रूप में नियुक्ति की तिथि से पहले संस्था की उक्त कार्य को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पूरा करता है या छोड़ देता है, तो उक्त लेखापरीक्षा फर्म वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इकाई के एससीए के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगी।

(***) निम्नलिखित विशेष कार्य (सांकेतिक सूची) के मामले में सामान्यतः टकराव उत्पन्न नहीं होगा - कर लेखापरीक्षा, कराधान प्रतिनिधित्व और कराधान मामलों संबंधी सलाह, अंतरिम वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, सांविधिक या विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन में सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र, वित्तीय जानकारी या उसके खंडों पर रिपोर्टिंग।

## 10. कार्यकाल और रोटेशन

लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षा फर्मों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, बैंक को तीन वर्ष की निरंतर अवधि के लिए एससीए नियुक्त करना होगा। एससीए की नि युक्ति वार्षिक आधार पर पात्रता मानदंडों को पूरा करने और बैंक के एसीबी/निदेशक मंडल और आरबीआई द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन की जाएगी।



इंडियन बैंक / INDIAN BANK कॉरपोरेट कार्यालय Corporate Office चेन्नै Chennai-600 014. लेखा विभाग / Accounts Department

किसी लेखापरीक्षा फर्म को लेखापरीक्षा कार्यकाल के पूर्ण या आंशिक कार्यकाल के पूरा होने के बाद छह वर्ष (दो कार्यकाल) के लिए बैंक में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी। यदि एक लेखापरीक्षा फर्म ने आंशिक कार्यकाल (1 वर्ष या 2 वर्ष) के लिए किसी इकाई का लेखापरीक्षा किया है और फिर शेष कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं किया गया है, तो वे उसी संस्था में आंशिक कार्यकाल पूर्ण करने से लेकर छह वर्ष हेतु पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र नहीं होंगे। तथापि, लेखापरीक्षा फ़र्म अन्य संस्थाओं का सांविधिक लेखापरीक्षा करना जारी रख सकती हैं।

## 11. सेवा समाप्ति

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त एक लेखापरीक्षा फर्म को भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति से उसके कार्यकाल के दौरान हटाया जा सकता है।

## 12. एससीए का पेशेवर मानक

एससीए अपनी अपनी लेखापरीक्षा जिम्मेदारियों के निर्वहन में प्रासंगिक पेशेवर मानकों का उच्चतम तत्परता के साथ कड़ाई से पालन करना होगा।

## 13. एससीए की गुणवत्ता संबंधी फीडबैक

निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति एससीए के कार्यनिष्पादन की समीक्षा वार्षिक आधार पर करेगी। एससीए की ओर से लेखापरीक्षा जिम्मेदारीयों या आचरण संबंधी मुद्दे में कोई गंभीर चूक/लापरवाही या कोई अन्य प्रासंगिक माने जाने वाले किसी अन्य मामले को वार्षिक लेखापरीक्षा के पूरा होने के दो महीने के भीतर आरबीआई को रिपोर्ट किया जाना चाहिए। ऐसी रिपोर्ट एसीबी के अनुमोदन के साथ लेखापरीक्षा फर्म के विवरण सहित भेजी जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा कार्यों को पूरा करने में चूक के परिणामस्वरूप किसी संस्था के वित्तीय विवरणों का गलत विवरण, और संस्थाओं के संबंध में एससीए की भूमिका और जिम्मेदारियों के संबंध में आरबीआई के निर्देशों/दिशानिर्देशों के उल्लंघन/चूक की स्थिति में, एससीए के विरुद्ध प्रासंगिक सांविधिक/विनियामक फ्रेमवर्क के तहत यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

## 14. नीति की समीक्षा

यह नीति आरबीआई के किसी अंतरिम संशोधन के अध्यधीन 3 वर्ष हेतु 2027-28 तक वैध है।

## 15. लेखा परीक्षा शुल्क और व्यय

बैंक, एससीए को लेखापरीक्षा शुल्क और व्यय के भुगतान संबंधी आरबीआई के संबंधित निर्देशों द्वारा तय होगा।

## 16. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश

आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे। आरबीआई द्वारा जारी कोई भी संशोधन/नए दिशानिर्देश इस नीति का अंश बन जाएगा।



इंडियन बैंक / INDIAN BANK
कॉर्पोरेट कार्यालय
Corporate Office
चेन्नै
Chennai-600 014.
लेखा विभाग / Accounts Department

## 17. अन्य मामले

ए) आरबीआई से सितंबर को समाप्त छमाही के लिए मौजूदा एससीए की सेवाओं के उपयोग करने हेतु सूचना प्राप्त होने के मामले में, परिचालन सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसके लिए एमडी और सीईओ से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा एवं इसकी सूचना हेतु एसीबी को सूचित किया जाएगा।

बी) निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) प्रासंगिक विनियामक प्रावधानों, मानकों और सर्वोत्तम परिपाटी के संदर्भ में लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और हितों के टकराव की स्थिति की निगरानी और आकलन करेगी। इस संबंध में किसी भी मामले को एसीबी द्वारा बैंक के निदेशक मंडल और आरबीआई के संबंधित वरिष्ठ पर्यवेक्षक प्रबंधक (एसएसएम)/क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) को सूचित किया जा सकता है।

एससीए को अनुबंध III के अनुसार संलग्न प्रारूप में स्वतंत्रता घोषणापत्र प्रस्तुत करनी होगी।

सी) बैंक, आरबीआई द्वारा इस प्रयोजन के लिए लेखापरीक्षा फर्म (फर्मों) हेतु निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुपालन का सत्यापन करेगा और उनकी पात्रता से संतुष्ट होने के पश्चात, फॉर्म सी (अनुलग्नक- II) के अनुसार प्ररूप में प्रमाण पत्र सहित आरबीआई को नामों की अनुशंसा करेगा, जिसमें कहा जाएगा कि एससीए के रूप में नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित लेखापरीक्षा फर्म (फर्मों) इस निमित्त आरबीआई द्वारा निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों का अनुपालन करते हैं।

डी) सामान्य भागीदारों और/या एक ही नेटवर्क के तहत लेखापरीक्षा फर्मों के एक समूह को एक इकाई माना जाएगा और तदनुसार एससीए के आबंटन के लिए उन पर विचार किया जाएगा। लेखापरीक्षा फर्मों के समान नेटवर्क के तहत किसी अन्य/सहयोगी लेखापरीक्षा फर्म द्वारा साझा/उप-अनुबंधित लेखापरीक्षा की अनुमति नहीं है। यदि आगामी ऑडिट फर्म, निवर्तमान ऑडिट फर्म से जुड़ी हो या फर्मों के एक ही नेटवर्क से हो तो आगामी ऑडिट फर्म पात्र नहीं होगी।

ई) लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता का आकलन करते समय, एक ही संदर्भाधीन वर्ष के लिए संस्था और संस्था में वृहद् एक्सपोजर वाली संस्था की लेखा परीक्षा को, स्पष्ट रुप से शामिल किया जाना चाहिए। आरबीआई द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि निदेशक मंडल/एसीबी यह देखेगा कि हितों का कोई टकराव न हो और लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती हो।

एफ) हमारे बैंक में लेखापरीक्षा फर्म से विशेष वर्ष के लिए और बाद के जारी वर्षों के लिए नियुक्ति पर विचार करने के लिए अप्रतिसंहरणीय सहमति लिखित रूप में प्राप्त की जानी है।



बैंक / INDIAN BANK
कॉर्पोरेट कार्यालय
Corporate Office
चेन्नै
Chennai-600 014.
लेखा विभाग / Accounts Department

अनुबंध- I

## पात्रता प्रमाण पत्र (फर्म का नाम और फर्म पंजीकरण संख्या)

**ए. फर्म का विवरण :**

| विगत वर्ष की 31 मार्च तक संस्था का आस्ति आकार | तीन(3) वर्षों की अवधि के लिए फर्म से संबंधित पूर्णकालिक भागीदार (एफटीपी) की संख्या | तीन(3) वर्षों की अवधि के लिए फर्म से संबंधित कुल एफटीपी में से सहयोगी सनदी लेखाकार (एफसीए) भागीदार की संख्या | सीआईएसए/आईएसए अहर्ता सहित पूर्णकालिक भागीदारों प्रदत्त सीए की संख्या | लेखापरीक्षा अनुभव वर्ष# | पेशेवर कर्मचारियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

***विशेष रुप से सभी वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), और रु.1000 करोड़ से अधिक की आस्ति आकार वाले यूसीबी/एनबीएफसी के मामले में लागू है**
**#एससीए/एसए और एसबीए के रुप में अनुभव के लिए विवरण अलग से प्रस्तुत किया जा सकता है।**

**बी. अतिरिक्त सूचना:**

(i) स्थापना प्रमाणपत्र की प्रति
(ii) क्या फर्म किसी लेखापरीक्षा फर्मो के नेटवर्क का सदस्य है या ऐसे किसी फर्म का भागीदार जो किसी अन्य लेखापरीक्षा फर्म में भागीदार है? यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।
(iii) क्या फर्म को वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक(आरआरबी को छोड़कर) या अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई)/आरबीआई/एनबीएफसी /यूसीबी द्वारा एससीए / सीए के रुप में नियुक्त किया गया है? यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।
(iv) क्या फर्म को किसी विनियामक/सरकारी एजेंसी द्वारा लेखापरीक्षा कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है? यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।
(v) विगत तीन वर्षो के दौरान किसी वित्तीय विनियामक सरकारी एजेंसी द्वारा फर्म के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि जो बंद हो चुकी हो और लंबित हो दोनों का विवरण प्रदान करें।



इंडियन बैंक / INDIAN BANK कॉर्पोरेट कार्यालय Corporate Office चेन्नै Chennai-600 014 लेखा विभाग / Accounts Department

## सी. फर्म की घोषणा

फर्म वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) / यूसीबी / एनबीएफसी (यथा लागू) के एससीए/ एसए की नियुक्ति के संबंध में आरबीआई द्वारा निर्धारित सभी पात्रता मानदंडो का अनुपालन करती है। यह प्रमाणित किया जाता है कि न तो मुझे और न ही हमारे किसी भागीदार या मेरे / उनके परिवार के सदस्य (परिवार में पति/पत्नी के अलावा बच्चे, माता-पिता, भाई, बहन या उनमें से कोई भी जो पूरी तरह से या मुख्य रूप से सनदी लेखाकार पर निर्भर है) या जिस फर्म/ कंपनी में मैं/ वे भागीदार/ निदेशक हैंउसे किसी बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया है।

यह पुष्टि की जाती है कि उपर्युक्त दी गई जानकारी सत्य और सही है।

भागीदार के हस्ताक्षर
(भागीदार का नाम)
दिनांक:

(इस घोषणा के प्रयोजन के लिए, उन कंपनियों द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधाएं जहां फर्म के भागीदार को व्यावसायिक हैसियत में गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसमें कोई वित्तीय हित नहीं हो, शामिल नहीं किया जाएगा।)



इंडियन बैंक / INDIAN BANK
कॉर्पोरेट कार्यालय Corporate Office
चेन्नै Chennai-600 014.
लेखा विभाग / Accounts Department

**अनुबंध-II**

**एससीए/एसए के रुप में नियुक्ति हेतु प्रस्तावित लेखापरीक्षा फर्म की पात्रता के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) और यूसीबी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र**

बैंक मेसर्स ...................................................... सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या .......................) को वित्तीय वर्ष ................ के लिए प्रथम/द्वितीय/तृतीय को कार्यकाल के लिए सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक के रुप में नियुक्त करने का इच्छुक है और इसलिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 (1ए) / बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 10(1) / एसबीआई अधिनियम 1955 की धारा 41(1) के अनुसार आरबीआई की पूर्व स्वीकृति मांगी गई है।

2. बैंक ने वित्तीय वर्ष .................. के लिए बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षा (एससीए) के रुप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित (लेखापरीक्षा फर्म का नाम और फर्म का पंजीकरण संख्या) से पात्रता प्रमाणपत्र (प्रतिलिपि संलग्न), साथ ही प्रासंगिक जानकारी (प्रतिलिपि संलग्न) प्राप्त किया है जैसा की आरबीआई द्वारा निर्धारित किया गया है।

3. फर्म एससीए /एसबीए रुप में बैंक के साथ पिछला /पिछले ......... वर्षो से कोई संबद्ध नहीं है।

4. बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) / यूसीबी में एससीए की नियुक्ति के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित सभी पात्रता मानदंडो के साथ कथित फर्म के अनुपालन को सत्यापित किया है।

हस्ताक्षर

(नाम और पदनाम)

दिनांक:



इंडियन बैंक / INDIAN BANK
कार्पोरेट कार्यालय
Corporate Office
चेन्नै
Chennai-600 014.
लेखा विभाग / Accounts Department

**अनुबंध-III**

**<u>सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) से प्राप्त की जाने वाली स्वतंत्रता और हितों के टकराव संबंधी घोषणा</u>**

हम ______________________________________________ एतदद्वारा घोषणा करते हैं कि:

1. हम उस कंपनी के लेखापरीक्षक नहीं है जिसमें बैंक का बड़ा एक्सपोज़र है (बड़े एक्सपोज़र जैसे कि आरबीआई द्वारा 'बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क' के तहत पारिभाषित किया गया है) (नीचे नोट देखें)।
2. हम बैंक के समवर्ती लेखापरीक्षक नहीं है (नीचे नोट देखें)।
3. बैंक के किसी भी गैर-लेखापरीक्षा कार्य (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 में उल्लिखित सेवाएं, आंतरिक असाइनमेंट, विशेष असाइनमेंट, आदि) या हमारे द्वारा बैंक के समूह संस्थाओं हेतु किए गए/किए जाने वाले किसी भी लेखापरीक्षा/गैर-लेखापरीक्षा कार्य के बीच का समय अंतराल इस नियुक्ति से पहले/बाद में कम से कम एक वर्ष है/होगा। (नीचे नोट देखें)।
4. हमारी फर्म का कोई भी भागीदार किसी पीएसबी में निदेशक नहीं है
5. इस नियुक्ति के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का निर्वहन आईसीएआई की आचार संहिता / अपनाए गए किसी ऐसे मानक द्वारा निर्देशित होगा।
6. द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के अभिलेखों में लेखापरीक्षा फर्म और/या लेखापरीक्षा फर्म के साझेदार के विरुद्ध व्यावसायिक आचरण आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी/अनुशासनात्मक कार्रवाई दर्ज नहीं है, जो हमें लेखापरीक्षक के रुप में नियुक्ति के लिए अयोग्य बनाती हो।

**<u>नोट</u>**: बिन्दु 1, 2 और 3 में उल्लिखित प्रतिबंध ऑडिट फ़र्मों के समान नेटवर्क के तहत किसी ऑडिट फ़र्म या सामान्य साझेदारों वाली किसी अन्य लेखापरीक्षा फर्म पर लागू होता है। (कंपनी अधिनियम (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 6 (3) में परिभाषित नेटवर्क)।

निम्नलिखित विशेष असाइनमेंट (सांकेतिक सूची) -कर लेखापरीक्षा, कराधान मामलों पर कर प्रतिनिधित्व और सलाह, अंतरिम वित्तीय विवरण का लेखापरीक्षा, सांविधिक या विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन में सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए जाने वाले प्रमाणपत्र, वित्तीय सूचना या उसके खंडो पर रिपोर्टिंग के मामले में सामान्य रुप से टकराव उत्पन्न नहीं होना चाहिए।

कृते मेसर्स और उनकी ओर से

स्थान: हस्ताक्षर:

दिनांक: सदस्यता सं.:

मुहर:



इंडियन बैंक / INDIAN BANK
कॉर्पोरेट कार्यालय
Corporate Office
चेन्नै
Chennai-600 014.
लेखा विभाग / Accounts Department